भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1065
बुधवार, 28 जुलाई, 2021/06 श्रावण, 1943 (शक)

देश में रोजगार सृजन

1065. श्री नीरज शेखरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में अब तक हुए रोजगार सृजन का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान रोजगार सृजन का क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) वर्ष 2021-22 के दौरान आज की तारीख तक रोजगार सृजन के लिए घोषित और कार्यान्वित योजनाओं का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का वर्ष-वार/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

भारत सरकार ने मार्च, 2020 से देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। "आत्म निर्भर भारत" के तहत अन्य बातों के साथ-साथ प्रवासी कामगारों, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने, एमएसएमई को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय पैकेज आरंभ किया है।

सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनःबहाली हेतु 01 अक्तूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) प्रारंभ की गई है। यह योजना ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, उन नए कर्मचारियों हेतु, जिनका मासिक वेतन 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ताओं के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। इस योजना के तहत 16.07.2021 को 89070 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 24.89 लाख कर्मचारियों को 1143.40 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों, जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 के वेतन माह हेतु मजदूरी का कुल 24% है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत 38.82 लाख पात्र कामगारों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड़ रुपए डाले गए।

प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

अनुबंध

"देश में रोजगार सृजन" के संबंध में श्री नीरज शेखर द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 28-07-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1065 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)	
	2018-19	**2019-20**
आंध्र प्रदेश	54.8	55.5
अरुणाचल प्रदेश	40.9	44.3
असम	43.4	43.2
बिहार	36.4	39.7
छत्तीसगढ	61.2	65.4
दिल्ली	44.5	43.3
गोवा	45.9	47.3
गुजरात	49.7	54.7
हरियाणा	41.9	42.9
हिमाचल प्रदेश	63.9	70.5
जम्मू और कश्मीर	52.9	52.5
झारखंड	44.9	53.6
कर्नाटक	49.3	53.1
केरल	44.9	45.3
मध्य प्रदेश	52.3	57.7
महाराष्ट्र	50.6	55.7
मणिपुर	44.3	45.5
मेघालय	61.8	58.6
मिजोरम	45.6	50.7
नागालैंड	38.1	44.8
ओडिशा	47.6	51.9
पंजाब	44.2	47.8
राजस्थान	50.0	55.0
सिक्किम	61.1	68.8
तमिलनाडु	51.4	55.3
तेलंगाना	50.6	55.7
त्रिपुरा	41.9	49.6
उत्तराखंड	41.4	49.5
उत्तर प्रदेश	40.8	45.1
पश्चिम बंगाल	49.7	49.7
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	49.1	49.8
चंडीगढ़	47.3	45.5
दादर और नगर हवेली	68.6	72.2
दमन और दीव	55.1	64.5
लक्षद्वीप	29.5	48.0
पुडुचेरी	47.8	47.7
लद्दाख	-	62.7
अखिल भारत	**47.3**	**50.9**

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।